पत्रांक- बाढ़ (मो0)सिं0-50/2017-अंश-।।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक:- ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
फैक्स/ जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।
ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।

पटना, दिनांक-

विषय:- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय अन्तर्गत दरवा सिमैसी जमींदारी बांध पर सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-3365 दिनांक-14.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय अन्तर्गत दरवा सिमैसी जमींदारी बांध पर हनुमान मंदिर से नंदनी गांव तक 1.65 कि0मी0 की लम्बाई में सड़क निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निम्न शर्त्तों के साथ दी जाती है :-

1. कार्य में होने वाले व्यय का वहन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी द्वारा किया जाएगा।
2. सड़क निर्माण के पश्चात् इसका रख-रखाव ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी द्वारा कराया जाएगा।
3. तटबंध के दोनों तरफ Toe से 100 मी0 की दूरी में किसी भी प्रकार मिट्टी की कटाई नहीं की जाएगी।
4. कार्य कराते समय जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं द्वारा दिये गये अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा।
5. सड़क निर्माण के दौरान एवं उपरान्त विभागीय वाहन एवं विभागीय कार्य में संलग्न वाहन यथा विभाग द्वारा अधिकृत वाहन कभी भी रात-दिन सड़क का प्रयोग कर सकेंगे। इस पर कोई प्रतिबंध या टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
6. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता को स-समय दिया जाएगा एवं कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं का पर्यवेक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
7. सड़क निर्माण के दौरान एवं पश्चात् तटबंध के सेक्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना होगा तथा BIS Code 12094:2000 में तटबंध के लिए प्रावधानित विभिन्न Parameters (Design Top, Free Board, Side Slope इत्यादि) के लिए निर्धारित मानकों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा।
8. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाएगा।
9. तटबंध में किसी प्रकार की क्षति होने पर मरम्मति की सारी जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी की होगी।
10. निर्माण के दौरान एवं निर्माण के पश्चात् वैसे वाहन जिनके आवागमन से तटबंध को क्षति हो, का परिचालन पूर्णरूपेण वर्जित होगा। इसके लिए सड़क के दोनों ओर बैरियर लगाया जाय ताकि भारी वाहन का प्रवेश वर्जित हो सके। दोनों ओर बैरियर लगाने का खर्च ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी को वहन करना होगा।

11. विषयांकित सड़क निर्माण कार्य में जमीन हस्तांतरण निहित नहीं है। जल संसाधन विभाग का स्वामित्व यथावत् रहेगा। विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. पथ निर्माण के साथ किसी भी प्रकार का नाला आदि का कार्य नहीं कराया जाएगा।
13. किसी भी अन्य प्रकार का ढाँचागत निर्माण अवैध होगा एवं उसके लिए विधिसम्मत् कार्रवाई किया जाएगा।
14. कार्यस्थल पर किसी भी दुर्घटना की पूर्ण जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी की होगी।
15. कार्यस्थल पर कार्य की समस्त जानकारी अंकित करते हुए एक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा ताकि उच्चाधिकारियों/विभागीय अभियन्ताओं को स्थल निरीक्षण के समय कठिनाई न हो।
16. कार्य के दौरान या कार्य के समाप्ति पर कोई भी सामाग्री आदि नदी भाग में नहीं डाला जाएगा। इसे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी द्वारा अपने व्यय पर जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं के निदेशानुसार हटाया जाएगा ताकि नदी के बहाव को अविरल रखा जा सके।
17. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
18. यदि भविष्य में बाँध का चौड़ीकरण, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा तो पक्कीकरण के अवशेष को अपने पास ले जाना होगा एवं इसपर होने वाले व्यय का वहन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी द्वारा किया जाएगा।
19. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है। यदि अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करने की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी की होगी।
20. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-1/पी.एम.सी./विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 द्वारा निर्गत निदेश के अनुपालन में संबंधित संवेदक द्वारा CBuD App का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
21. उपर्युक्त किसी भी कंडिका का अनुपालन नहीं करने पर यह अनापत्ति प्रमाण स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं जल संसाधन विभाग विधि सम्मत् कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक- बाढ़ (मो0)सिं0-50/2017-अंश-।। पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्त्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक- बाढ़ (मो0)सिं0-50/2017-अंश-।। 4078 पटना/दिनांक-05-11-2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

05.11.26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

Uday/E.I.C, SAMASTIPUR 2026